सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

कालूसिंह बनाम शैतानसिंह

किस्म मुकदमा 225आरटीए **नम्बर....21..../2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.18	अभिभाषक अपीलांट श्री सीताराम बिश्नोई उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही नोखा गांव के खेत खसरा नम्बर 460 तादादी 10.87 हेक्टर स्थित है। जिसमें अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। वादगत् भूमिसह खातेदारी भूमि होने से अपीलांट अपने कब्जे काश्त की भूमि पर शांति पूर्वक काश्त कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिना विभाजन कराये वादगत् भूमि की सीमाओं से छेड़खानी कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि पर कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गावं के अन्य लोगों के सहयोग से खेत खसरा नम्बर 460 की सीमाओं को तोड़कर रास्ता कायम करने पर आमादा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27–04–2016 को वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रास्ता खुलवाने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं था ना ही कोई पत्रावली जैरकार थी। इसके बावाजूद भी आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट व अन्य खेत पड़ौसियों के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। लिहाजा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि वाके रोही नोखा गांव के खसरा नम्बर 460 की सीमाओं को तोड़की नया रास्ता कायम	

नहीं करने व अपीलांट की खातेदारी भूमि की सीमाओं में दखलंदाजी नहीं करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पन मनन किया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया।

हस्तगत् मामलें में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में वादगत् भूमि वाके रोही नोखा गांव के खेत खसरा नम्बर 460 तादादी 10.87 हेक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा स्वयं के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व यह अपील आदेश दिनांक 27–04–2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। हमने आदेश जैर अपील का अवलोकन किया। उक्त आदेश अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, नोखा व तहसीलदार, नोखा के मध्य एक पत्राचार है जिसमें पूर्व में अदालत मातहत अर्थात उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 460 के बाबत् प्रसारित स्थगन आदेश दिनांक 27–04–2016 के बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया है। उक्त मार्गदर्शन में अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादगत् भूमि पर पीढ़ियों से सुखाचार का रास्ता चला आ रहा है। इसलिए उक्त स्थगन आदेश रास्ते पर लागू नहीं है।

यदि अपीलांट अदालत मातहत के उक्त पत्राचार से किसी प्रकार व्यथित था तो उसे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। चूंकि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–2016 एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश में किसी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।